

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

जलप्रदाय शाखा :- साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759-221929, पो. बाक्स नं. : 12 पिन कोड : 495677

Website : www.Korbamunicipal.in Email : Corporationkorba@gmail.com

फा.क्र./791/वाहन/2026

कोरबा, दिनांक 24.03.2026

सिस्टम निविदा क 187971

द्वितीय निविदा आमंत्रण की सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण के लिए अच्छे कंडिका के वाहन किराया पर मासिक दर में लिया जाना है, जिसके लिए प्रदायकर्ता से फार्म "बी" में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 15.04.2026 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 15.04.2026 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	नगर पालिक निगम, कोरबा हेतु 01 नग इनोवा (क्रिस्टा) वाहन ए.सी. सहित किराये पर प्रदाय करने बावत्। (निगम मद)	10,80,000/-	32,500 /-	750/-	Form-B	12 माह	15.04.2026


निविदा की शर्त:-

1. निविदा ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendring) के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
2. निविदा हेतु इच्छुक प्रदाय कर्ताओं का प्रमाण पत्र, यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन के साथ कार्य अनुभव की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करना होगा, एवं आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में एफ. डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा की रसीद जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, के नाम से देय होगा उसे जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा।
3. इच्छुक ठेकेदार यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR का स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट की प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी. आई. चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 03:00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. जिन निविदाकारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा अहस्तांतरणीय होगी एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
9. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त/महापौर के द्वारा अधिकृत अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। वाहन का पंजीयन संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य होगी। वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए वाहन अच्छी कंडीशन में नहीं होने पर कार्य स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
11. वाहन के समस्त दस्तावेज जीवित बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) तथा फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी का भुगतान बीडन मालिक द्वारा किया जावेगा। बीमा संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि जमा किया जाना होगा।
12. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने पर कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।
13. किराये की अवधि में वाहन आबंटित अधिकारी के आधिपत्य में रहेगा तथा फर्म के द्वारा अपने निजी प्रयोजन अथवा कार्यालय से हटकर अन्य कार्य हेतु वाहन का उपयोग किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से वाहन हटा दिया जावेगा।

- 4 वाहन की मरम्मत, रख-रखाव, दुर्घटना दावा एवं समस्त अन्य खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।
15 उपयोग के दौरान वाहन के खराब होने की स्थिति में समतुल्य वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा। वाहन तत्काल उपलब्ध न कराये जाने पर उक्त दिवस की राशि कटौती की जाएगी। यदि कार्यालय द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है, तो व्यय पूर्ति की जवाबदारी फर्म की होगी।
- 16 वाहन का उपयोग अवकाश दिवसों पर भी किया जावेगा। यदि उक्त दिवसों पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मासिक दर के आधार पर प्रति दिवस राशि की गणना कर कटौती की जावेगी।
- 17 फर्म के द्वारा वाहन चालक के संबंध में जानकारी (आधारकार्ड, वैध ड्रायविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति) उपलब्ध करायी जाए। वाहन चालक यातायात नियमों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। कम से कम 03 वर्ष वाहन चलाने का अनुभव हो तथा वाहन चालक के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक/दुर्घटना प्रकरण दर्ज न हो।
- 18 वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को संचारित करना होगा एवं उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा।
- 19 लॉग बुक की सत्यापित छायाप्रति के साथ देयक एक प्रति में प्रस्तुत करना होगा। फर्म द्वारा बैंक खाते का विवरण कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 20 देयक के भुगतान में नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती की जावेगी।
- 21 वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन, मत्ता आदि) फर्म द्वारा देय होगा।
- 22 वाहन चालक के अवकाश पर रहने या अस्वस्थ होने पर फर्म के द्वारा तत्काल दूसरे अर्हताधारी वाहन चालक की व्यवस्था की जायेगी।
- 23 वर निर्धारण पश्चात् नियत अवधि हेतु कार्यादेश दिया जावेगा। कार्यादेश में उल्लेखित शर्तों का एजेंसी के द्वारा उल्लंघन करने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी। किसी भी समय कार्यादेश रद्द करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित होगा।
- 24 नियत अवधि में पेट्रोल/डीजल के दर/टैक्स/जी.एस.टी. में वृद्धि होने पर बढ़े हुए दर के भुगतान का दायित्व वाहन आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।
- 25 उपयोग किए जाने वाले वाहन के प्रकार का निर्धारण करने का अधिकार कार्यालय को होगा।
- 26 वाहनों के दरों के निर्धारण पश्चात् फर्म द्वारा राशि 1,00,000/- रु का सावधि जना, किराये से वाहन प्राप्त करने वाले अधिकारी के पदनाम से धरोहर/अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। उक्त फर्म का वाहन जब तक कार्यालय में उपयोग किया जाएगा, तब तक उक्त राशि जमा रहेगी। फर्म के द्वारा कार्यालय से वाहन हटाये जाने के पश्चात् ही अमानत राशि फर्म को वापस की जावेगी। शर्त के उल्लंघन पर अमानत राशि जब्त किया जायेगा।
- 27 स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेवलर्स एजेंसी/फर्म की होगी। अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा अन्य एजेंसी/फर्म से वाहन प्राप्त किया जायेगा।
- 28 वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख द्वारा लिया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम व उभय पक्ष को मान्य होगा।
- 29 मासिक किराया दर में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. चलित दौरा सम्मिलित है, जिसमें पेट्रोल/डीजल फर्म के द्वारा देय होगा। मासिक 2000 कि.मी. से अधिक चलने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त किराया देय होगा। वाहन में वाहन चालक प्रदाय नहीं करने की स्थिति में निर्धारित दर अनुसार देयक से कटौती की जावेगी।
- 30 वाहन में फास्टैग की सुविधा अनिवार्य होगी तथा इसका रिचार्ज अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।
- 31 वाहन उपलब्ध कराने वाले फर्म को कार्यालय प्रमुख के साथ शर्तों के अनुरूप अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 32 अन्य सूचनायें नगर पालिक निगम साकेत भवन, रामपुर, कोरबा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।
- 33 उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम कोरबा की वेब साईट www.Korbamunicipal.in यह निविदा उपलब्ध है।

नोट:-

- 1 उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समयएवं स्थान माना जावे।


अधीक्षक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		24.03.2026	15.30	24.03.2026	15.30	Release Tender
2		Bid Submission	24.03.2026	15.30	10.04.2026	17.30	
3		Physical Document Submission	24.02.2026	15.30	15.04.2026	15.00	
4	Tender Open		15.04.2026	16.00	--	--	



SUPRITENDING ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ABSTRACT

किराये में वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में। (इनोवा क्रिस्टा ए.सी. सहित)

No.	Item of work	Qty	Rate	Amount
1	नगर पालिक निगम कोरबा हेतु 01 नग इनोवा (क्रिस्टा) वाहन ए.सी. सहित किराये पर प्रदाय करने बावत्।	12 माह		
2	मासिक प्रति दिवस की निर्धारित सीमा से अधिक पर अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी. 18/- दर से अनुमानित 10000 कि.मी. हेतु इनोवा (क्रिस्टा)	10000 कि.मी.		


Sub. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)


Asst. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)